म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–4/319/49 भोपाल दिनांक 21/01/14

आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 30.12.2013 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित सहायक उपनिरीक्षकों को ((विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.11.2011, 01.12.11 एवं 16.12.2011 में परिभ्रमण में रखे जाने से) मण्डी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप समिति की अनुशंषा के आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी–मण्डी कार्मिक/अ–4/319/423–424 दिनांक 31.12.2011 द्वारा सहकर्मियों को दी गई पदोन्नति दिनांक 31.12.2011 से मण्डी निरीक्षक के पद पर वेतन बैंड 5200–20200+ग्रेड पे 2800/ में पदोन्नत करते हुए कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित स्थान पर आगामी आदेश तक के लिये पदस्थ किया जाता है।

सक	व. क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थी स्थल	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05	06
1	844	श्री विश्वनाथ सिंह	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी	कृषि उपज मण्डी समिति गुना
2	845	श्री रघुनाथ सिंह लोहिया	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी	कृषि उपज मण्डी समिति आरोन
3	1069	श्री गोरेलाल आदिवासी	अनुसूचित जनजाति	कृषि उपज मण्डी समिति पन्ना	कृषि उपज मण्डी समिति हरपालपुर
4	1361	श्री जयसिंह पुसाम	अनुसूचित जनजाति	कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा	कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नति में म0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

(ए. पी. एस. सोलंकी)
अपर संचालक (कार्मिक)
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / मंडी कार्मिक / अ–4 / 319 / 50 भोपाल दिनांक 21 / 01 / 14

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2. अपर संचालक / मुख्यअभियंता / संयुक्त संचालक (समस्त) / अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / उपसंचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3. लेखाधिकारी (आडिट / लेखा) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

4 संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर / सागर / रीवा / भोपाल / ग्वालियर / उज्जैन / जबलपुर की भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति पद पर उपस्थिति / भारमुक्ति के लिये अध्यक्ष / सचिव मण्डी समिति को अपने स्तर से भी निर्देशित किया जायें। संबंधितों की पदोन्नत पद पर उपस्थिति से वरिष्ठालय को अवगत करायें। जो कर्मचारी मण्डी निरीक्षक के पदोन्नत पद पर पदोन्नति किसी कारण से लेना नहीं चाहते है उनके प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में उनसे भरवाते हुए तुरन्त वरिष्ठालय को अनिवार्यतः प्रेषित करें।

5 अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ... जिला .... को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी को नवीन पदोन्नत पदस्थापना के लिये यथासमय भारमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे कर्मचारी जो मण्डी निरीक्षक के पदोन्नत पद पर पदोन्नति किसी कारण से लेना नहीं चाहते है उनके प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप मण्डी बोर्ड की बेवसाईट पर प्रदर्शित है) उनसे भरवाते हुए संबंधित आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से तुरन्त वरिष्ठालय को अनिवार्यतः प्रेषित करें।

6 श्री .... सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति .... की ओर पालनार्थ।
उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

7 लेखाशाखा / आदेश नस्ती / गोपनीय चरित्रावली / व्यक्तिगत नस्ती / सेवा पुस्तक / कम्प्यूटर शाखा / विभागीयजांच / शिकायत / निरीक्षण / नियमन / नवीनमण्डी स्थापना / आडिट / प्रांगण निर्माण, अ–4 पटल।

सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

अपर संचालक (कार्मिक)
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल